तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 152/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/261) बअनवान अहमद हुसैन बनाम इंसाफ इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

अहमद हुसैन व अन्य

बनाम

इन्साफ खां इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री ओमप्रकाश डारा अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री ईश्वरसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 7
3. श्री शेखर मेवाड़ा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 08 व 12
4. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14

आदेश

दिनांक 10.02.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2024 अनवान अहमद हुसैन व अन्य बनाम इंसाफ खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 जून 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 694/327 रकबा 4.9614 हैक्टेयर ग्राम खेजड़ली कलां सयुंक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में अपीलांट्स की ओर से विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जो विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांट्स की ओर से विचारण के वाद के विचाराधीन वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 152/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/261) बअनवान अहमद हुसैन बनाम इंसाफ इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में मानते हुए दिनांक 06 जून 2024 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये बिना कोई कारण दर्शाये पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का आगे नहीं बढाया गया। रेस्पोडेंट्स आलौच्य आदेश की आड़ में वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध एवं नॉन-स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 जून 2024 को निरस्त किया जावे एवं वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि उभय पक्ष अपने-अपने कब्जे काश्त अनुसार मौके पर काबित काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनने के उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय में मूल प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना है। अतः प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं होने से तथा सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 152/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/261) बअनवान अहमद हुसैन बनाम इंसाफ इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत विभाजन का वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06 जून 2024 को प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो बिना काई कारण दर्शाये अपीलाधीन आदेश के जरिये आगे नहीं बढायी गई है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में मूल वाद के विचारधीन रहते वादग्रस्त आराजी खुद-बुर्द हो जाती है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हजा की राय में समर्थन योग्य नही ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 जून 2024 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 152/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/261) बअनवान अहमद हुसैन बनाम इंसाफ इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर स्पीकिंग आदेश पारित करते हुए अंतिम निस्तारण करे। तब उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर